बिहार सरकार
परिवहन विभाग

मार्गदर्शिका

आम निर्वाचन के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु चुनाव कार्य से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों, चुनाव सामग्रियों, सुरक्षा कर्मियों आदि के सुगम आवागमन हेतु बड़ी संख्या में वाहनों के अधिग्रहण की आवश्कता होती है। इन वाहनों के अधिग्रहण, इनका सदुपयोग, इनके मुआवजा राशि का भुगतान एवं वाहनों की विमुक्ति नियामानुकूल एवं यथा समय किये जाने की आवश्यकता होती है। अधिगृहित वाहनों के मुआवजा भुगतान अथवा समय पर वाहनों की विमुक्ति नहीं होने के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध वाद भी दाखिल होने के स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना न हो इस उद्देश्य से इस मार्गदर्शिका को तैयार कर तद्नुसार कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न कोटि के वाहनों के अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

1. वाहनों की आवश्यकता का आकलन :–

निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता का भलीभांति आकलन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की आवश्यकता के अनुरूप ही अधिग्रहण किया जाएगा।

2. वाहन कोषांग का गठन :–

निर्वाचन के अवसर पर प्रत्येक जिले में वाहन के अधिग्रहण, लॉगबुक एवं वाहन पंजी के संधारण, वाहन की विमुक्ति आदेश, मुआवजा भुगतान आदि के लिए वाहन कोषांग का गठन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के पूर्व वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। **निर्वाचन कार्य हेतु अधिगृहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक जिला वाहन कोषांग को आवश्यक स्टाफ के साथ कार्यरत रखा जाएगा।**

3. पंजियों का संधारण :–

प्रत्येक वाहन कोषांग में निम्नलिखित पंजियाँ अनिवार्य रूप से संधारित की जाएँगी। यदि किसी जिले में एक से अधिक स्थान पर अधिगृहित वाहनों का संचालन किया जा रहा हो एवं जिसके अनुरूप एक से अधिक स्थान पर वाहन कोषांग कार्यरत हो तो ऐसे सभी केन्द्रों पर पंजियाँ अनिवार्य रूप से संधारित की जाएगी।

(i) **वाहन अधिग्रहण पंजी** :– इस पंजी में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक अधिगृहित वाहन के अधिगृहित होने, किसी नए जिले में स्थानान्तरित किये जाने, विमुक्त होने की तिथि एवं देय मुआवजे की राशि अंकित की जाएगी। यह पंजी प्रपत्र–1 में संधारित की जाएगी।

(ii) **वाहन का लॉग बुक** :– प्रत्येक वाहन के लिए एक लॉगबुक खोली जाएगी, जिनमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनायें अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी :–

(क) वाहन की निबंधन संख्या

(ख) वाहन मालिक का नाम

(ग) चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या एवं पता

(घ) अधिग्रहण की तिथि

(ड़) समय–समय पर दिये गये ईंधनादि का विवरण

(च) अग्रिम राशि का विवरण

(छ) गाड़ी परिचालन का विवरण

(ज) वाहन के मुआवजा भुगतान की राशि की गणना

(झ) अंतिम भुगतान की राशि।

4. अधिग्रहण संबंधी सूचना वेबसाईट पर डालना :–

अधिगृहित वाहनों के संबंध में यथासंभव अधिग्रहण तिथि को ही एवं अधिक से अधिक अगले दिन तक वाहन अधिग्रहण पंजी में प्रपत्र–1 में अंकित सूचनाएं निर्वाचन विभाग के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in पर डाल दी जाय।

इस वेबसाईट को प्रत्येक दिन अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिला में निर्वाचन के समय वाहन कोषांग के गठन के साथ ही अलग से एक कंप्यूटर वेंडर की नियुक्ति की जाए तथा वेंडर को सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित की जाए। वेंडर को साफ्टवेयर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा।

5. सत्यापन पदाधिकारी :–

(i) लॉगबुक एवं वाहन पंजी को सत्यापित करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / मोटरयान निरीक्षक अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी को सत्यापन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा।

(ii) अधिगृहित वाहनों के नंबर प्लेट के पास वाहन के ड्राइवर को खड़ाकर इस तरह फोटो लिया जाए की वाहन की निबंधन संख्या तथा ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई दें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी संधारित किया जाएगा।

6. वाहन विमुक्ति की प्रक्रिया :–

(i) सामान्यतः अधिगृहित वाहन या तो अधिगृहित होने वाले जिले में ही विमुक्त कर दिया जाता है अथवा चुनाव कार्य के लिए अन्य जिलों में अधिगृहित जिलों से ही भेजा जाता है। दोनों परिस्थितियों में प्रत्येक वाहन की विमुक्ति के समय निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(क) प्रत्येक संबंधित वाहन के वाहन स्वामी अथवा चालक को एक विमुक्ति कूपन निर्गत किया जाएगा। विमुक्ति कूपन प्रपत्र–2 में निर्गत किया जाएगा। इस कूपन में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त संबंधित जिलों में वाहन के कुल अधिगृहित दिनों की संख्या, कुल देय मुआवजा राशि एवं मुआवजा राशि किस पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है, अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।

(ख) वाहन पंजी में भी विमुक्ति कूपन में अंकित विवरणी के अनुरूप ही सत्यापन पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जाएगी।

(ग) यह संभव है कि कतिपय मामलों में अधिगृहित वाहन स्वामी को कुछ अग्रिम की राशि दी गई हो, ऐसी परिस्थिति में विमुक्ति कूपन में कुल देय राशि में से अग्रिम राशि घटाकर शेष भूगतेय राशि को अंकित किया जाएगा।

(घ) वाहनों के लॉगबुक में सत्यापन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी :–

(a) वाहन विमुक्ति अथवा किसी अन्य जिले में स्थानांतरित किये जाने की तिथि।

(b) विमुक्ति कूपन सं0 और विमुक्त किये जाने के अनुसार संबंधित जिले से वाहन स्वामी को कुल देय राशि।

7. वाहन विमुक्ति के उपरांत अन्य प्रयोजन से अन्य क्षेत्राधिकार में अगर उक्त वाहन को पुनः अधिगृहित किया जाता है तो समरूप प्रक्रिया उसी लॉगबुक में जारी रहेगी और द्वितीय जिला द्वारा अन्त में उपर्युक्त विमुक्ति कूपन दिया जाएगा।

8. वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा।

<u>9. मुआवजे का भुगतान :–</u>

(i) अधिगृहित निजी वाहनों को संबंधित जिला द्वारा साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) वाहन के अधिग्रहण के उपरांत वाहन चालक को जिला स्तर से दिये जाने वाले लॉग बुक में भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से अंकित की जानी चाहिए। इस हेतु इस मार्गनिर्देशिका के मुआवजा भुगतान संबंधी अंश लॉगबुक के पृष्ठ भाग पर मुद्रित करा दिया जाए।

(iii) अधिगृहित वाहनों की संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थितिवश संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान न हो पाने की स्थिति में वाहन स्वामी द्वारा लॉगबुक समर्पित कर देने पर निर्वाचन समापन के एक माह के अन्दर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यह कार्रवाई निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जायेगी :–

(क) सभी संबंधित जिलों द्वारा आम सूचना के माध्यम से सभी वाहन स्वामी, जिनका वाहन निर्वाचन के दौरान अधिगृहित किया गया था, की भुगतान प्राप्त करने हेतु एक तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करते हुए सूचित किया जायेगा। आम सूचना में यह सूचित किया जाएगा कि संबंधित वाहन स्वामी विमुक्ति कूपन के साथ ही उपस्थित होंगे।

(ख) निर्धारित तिथि को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा विमुक्ति कूपन उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें विमुक्ति कूपन के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) भुगतान किये गये कुल राशि की प्रविष्टि वाहन पंजी मे करते हुए राशि प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर भी वाहन पंजी में प्राप्त किया जाएगा।

(घ) सभी प्राप्त विमुक्ति कूपन अलग से सुरक्षित रखे जायेंगे एवं इन्हें एक रजिस्टर के रूप में बाईंड कराकर संधारित किया जाएगा।

(iv) किसी एक जिला में अधिगृहित किन्तु विभिन्न जिलों में उपयोग में लाये गये वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) प्रत्येक संबंधित जिला उनके यहां प्रयुक्त समय के लिए वाहनों के मुआवजा भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) किसी जिला में अधिगृहित वाहन को यदि दूसरे जिला में निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो यथासंभव उक्त वाहन का पूर्णरूपेण मुआवजा भुगतान करने के बाद उक्त जिला में जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति करेंगे तथा उक्त जिला को प्रतिवेदित करते हुए विमुक्ति पत्र पर अंकित कर देंगे। पुनः नया जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेगा। यदि किसी कारणवश पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय संभव नही हो तो विमुक्ति प्रमाण पत्र पर वाहन उपयोग की गणना कर संपूर्ण भुगतेय राशि को अंकित कर दिया जाए, जैसा कि प्रपत्र–II में दर्शाया गया है।

10. वाहनों के अधिग्रहण एवं भुगतान की संपूर्ण विवरणी, पंजी, प्रपत्रों के संधारण को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इससे पारदर्शिता के साथ–साथ अधिगृहित वाहनों के संबंध में डाटा एवं भुगतान की स्थिति सुगम रूप में उपलब्ध रहेगी।

11. अंकेक्षण कार्य हेतु लॉग बुक, वाहन पंजी निर्वाचन तथा विमुक्ति कूपन समापन के उपरान्त संभाल कर रखी जायेगी।

12. चुनाव पश्चात् वाहन कोषांग द्वारा वांछित कार्रवाई :–

प्रत्येक जिला के वाहन कोषांग की यह जिम्मेवारी होगी कि उस जिला में मूल रूप से अधिगृहित अथवा अन्य जिला से प्राप्त/जिला में आये हुए वाहन, जिनके एक दिन के भी भुगतान की जिम्मेदारी उस जिला की हो, की प्रविष्टि वाहनों की सूची में की जाए तथा यह अंकित किया जाये कि उस वाहन को कितने दिनों के लिए भुगतान उस जिला द्वारा किया जाना है, कितने दिनों के लिए तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया था तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है। सभी वाहनों के लिए इसप्रकार अवशेष भुगतान की वाहनवार विवरणी तैयार की जाये ताकि सभी वाहनों को देय भुगतान को योग कर जिला द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, अर्थात् जिला की इस मद में कुल देनदारी, का आकलन कर यह सूची वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के रूप में समर्पित की जाये। इसकी विवरणी यथास्थिति निर्वाचन विभाग एवं गृह (विशेष) विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। यह कार्रवाई संपन्न किये बिना वाहन कोषांग का कार्य पूर्ण नहीं माना जाये। इसमें किसी भी चूक या शिथिलता के लिए वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाये।

13. निर्वाचन के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के स्तर से समय–समय पर निर्गत आदेश भी इस संबंध में प्रभावी होंगे।

14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , बिहार का संलग्न ज्ञापांक 3535 दिनांक 24.06.2013 इस मार्गदर्शिका का अंग समझा जाए।

7/3/14

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/सम0निर्वा0–73/2010 1477 दिनांक– 07/03/2014

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/14

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

D:\Kamini\Margadarshika.

सी०डब्लू०जे०सी० सं०-4539/2007 (शिवकरण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2012 एवं मुख्य सचिव, बिहार से संदर्भित मामले में दिनांक 06.03.2013 को हुये विमर्श के आलोक में निर्वाचन के अवसर पर अधिगृहित वाहनों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया सुदृढ़ किये जाने संबंधी बिन्दु पर विमर्श हेतु दिनांक 20.06.2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति

(i) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग

(ii) प्रधान सचिव, गृह विभाग,

(iii) प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग

2. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा निर्वाचन के अवसर पर अधिगृहित वाहनों के मुआवजा भुगतान हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4409 दिनांक 27.08.2010 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। निर्गत मार्गदर्शिका में निर्वाचन के अवसर पर अधिगृहित वाहनों के लिए वाहन कोषांग का गठन, अधिगृहित वाहनों के लिए पंजी का संधारण, अधिगृहित वाहनों से संबंधित सूचना निर्वाचन विभाग के वेब साईट http://ceobihar.nic.in पर डालने की प्रक्रिया, वाहन विमुक्ति की प्रक्रिया, अधिगृहित वाहन के मुआवजा का भुगतान तथा चुनाव के पश्चात् जिला वाहन कोषांग द्वारा की जाने वाली वांछित कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

3. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि मार्गदर्शिका की कंडिका-9 (iii) में उल्लिखित है कि अधिगृहित वाहनों के संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थितिवश संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान न हो पाने के स्थिति में वाहन स्वामी द्वारा लॉगबुक समर्पित कर देने पर निर्वाचन समापन के एक माह के अन्दर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। इसके लिए इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

इसी तरह मार्गदर्शिका की कंडिका-11 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि - "प्रत्येक जिला के वाहन कोषांग की यह जिम्मेवारी होगी कि उस जिला में मूल रूप से अधिगृहित अथवा अन्य जिला से प्राप्त/जिला में आये हुए वाहन, जिनके एक दिन के भी भुगतान की जिम्मेवारी उस जिला की हो, की प्रविष्टि वाहनों की सूची में की जाये तथा यह अंकित किया जाये कि उस वाहन को कितने दिनों के लिए भुगतान उस जिला द्वारा किया जाना है, कितने दिनों के लिए तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया था तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है। सभी वाहनों के लिए इस

(99

2

प्रकार अवशेष भुगतान की वाहनवार विवरणी तैयारी की जाये ताकि सभी वाहनों को देय भुगतान को जोड़ कर जिला द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, अर्थात जिला की इस मद मे कुल देनदारी, का आकलन कर यह सूची वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के रूप मे समर्पित की जाये। इसमे किसी भी चूक या शिथिलता के लिये वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाये।''

किन्तु जिला वाहन कोषांग द्वारा निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त के आलोक में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वाहन मुआवजा भुगतान मे कठिनाई हो रही है। मुआवजा भुगतान प्राप्त करने हेतु वाहन मालिक को न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। इसके लिए य.' आवश्यक है कि जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के पूर्व वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं क.ेचारी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाये। साथ ही जबतक अधिगृहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान पूर्ण नही हो जाता है, तबतक जिला वाहन कोषांग को आवश्यक स्टाफ के साथ कार्यरत रखा जाये।

4. बैठक मे निर्णय लिया गया कि विगत निर्वाचनों के अवसर पर अधिगृहित वाहनों के मुआवजा भुगतान हेतु निर्गत मार्गदर्शिका कंडिका-9 (iii) (क) के आलोक मे आम सूचना दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित कर लंबित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाये। इसके लिए आम सूचना परिवहन विभाग एवं निर्वाचन विभाग के स्तर से भी निर्गत की जाये ताकि वाहन मालिक संबंधित जिला मे अपना लॉगबुक/कागजात जमा कर अंतिम वाहन मुआवजा प्राप्त कर सके।

5. किसी एक जिला मे अधिग्रहित लेकिन विभिन्न जिलो मे उपयोग मे लाये गये वाहनों के भुगतान के संबंध मे निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिला उनके यहाँ प्रयुक्त समय के लिए वाहनों के मुआवजा भुगतान कि लिए उत्तरदायी होंगे ।

इसके लिए प्रक्रिया यह होगी कि किसी जिला मे अधिग्रहित वाहन का यदि दूसरे जिला मे निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो यथासंभव उक्त वाहन का पूर्णरूपेन मुआवजा भुगतान करने के बाद उक्त जिला मे जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति करेंगे तथा उक्त जिला को प्रतिवेदित करते हुए विमुक्ति पत्र पर अंकित कर देंगे । पुनः नये जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेगा । यदि किसी कारणवश पूर्ण मुआवजा का भुगतान विमुक्ति के समय सम्भव नही हो तो विमुक्ति प्रमाण पत्र पर वाहन उपयोग की गणना कर सम्पूर्ण भुगतेय राशि को अंकित कर दिया जाय, जैसा कि प्रपत्र II मे दर्शाया गया है ।

6. बैठक मे यह भी निर्णय लिया गया कि वाहनों के अधिग्रहण एवं भुगतान की सम्पूर्ण विवरणी, पंजी, प्रपत्रों के संधारण को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाय । इससे पारदर्शिता के साथ-साथ अधिग्रहित वाहनो के संबंध मे डाटा एवं भुगतान की स्थिति सुगम रूप से उपलब्ध रहेगी ।

(98

3

7. बैठक मे यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त के आलोक मे परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका निर्गत की जायेगी। उक्त मार्गदर्शिका के साथ लॉगबुक का प्रारूप भी संलग्न किया जायेगा।

बैठक की कार्यवाही सधन्यावाद समाप्त की गयी।

24/6/2013

(अजय नायक)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग

ज्ञापांक :- डी1-0013/2013-3535 पटना, दिनांक 24 जून, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, गृह विभाग/ प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.6.13

(सोहन कुमार ठाकुर)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक :- डी1-0013/2013-3535 पटना, दिनांक 24 जून, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- श्री एस० एस० ठाकुर, मुख्य सचिव व विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.6.13

(सोहन कुमार ठाकुर)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

(60)

प्रपत्र-I

(वाहन अधिग्रहण-पंजी प्रारूप)

क्र. सं.	वाहन निबंधन संख्या	वाहन मालिक का नाम/पता एवं दूरभाष संख्या	चालक का नाम/पता एवं दूरभाष संख्या	वाहन अधिग्रहण की तिथि व समय	सत्यापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर व पदनाम	वाहन विमुक्ति की तिथि व समय	जिले में वाहन अधिग्रहण की कुल अवधि	देय मुआवजा का दर	देय मुआवजा की कुल राशि	तिथिवार भुगतान की गयी कुल अग्रिम राशि			शेष मुआवजा की कुल राशि	अन्य जिला हेतु स्थानान्तरण अथवा विमुक्ति की तिथि	वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि	प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर
										तिथि	राशि	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Stej carej

-4-

५

प्रपत्र-II

(वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

जिला का नामः

प्रमाण पत्र सं0- दिनांक-

1. वाहन निबंधन संख्या :
2. वाहन मालिक का नाम एवं पता :
3. चालक का नाम-पता :
4. अधिग्रहण की तिथि व समय :
5. (क) विमुक्ति की तिथि व समय :

   (ख) अन्य जिला के लिए स्थानान्तरण की तिथि व समय :

   (ग) स्थानान्तरित किए जाने वाले जिले का नाम :
6. मुआवजा का दर :
7. कुल मुआवजा राशि :
8. भुगतान की गयी अग्रिम मुआवजा की राशि :
9. शेष भुगतेय कुल मुआवजा राशि :

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वाहन बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2010 के क्रम में निर्वाचन/विधि व्यवस्था कार्य के प्रयोजनार्थ जिला.................... में दिनांक-...................से दिनांक-.................तक कुल..................दिनों तक अधिग्रहित रखा गया है। उक्त वाहन के लिये यथा उपर्युक्त शेष मुआवजा राशि का भुगतान जिला दण्डाधिकारी,....................के कार्यालय से यह विमुक्ति प्रमाण पत्र उपस्थापित करने पर पूर्व निर्धारित तिथि को, जो समाचार पत्रों के माध्यम से संसूचित की जाएगी, वाहन स्वामी अथवा उनके विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी
का हस्ताक्षर व पदनाम

लॉगबुक का नमूना

जिला – ....

लोक सभा आम चुनाव–2014

लॉगबुक संख्या–...

1. वाहन का किस्म...
2. निबंधन संख्या..बैठक क्षमता.......................................
3. चालक का नाम...

   एवं पूरा पता..मो0नं0..
4. वाहन मालिक का नाम...

   एवं पूरा पता..मो0नं0..
5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या..
6. अधिग्रहण की तिथि...

   समय..पूर्वाह्न/अपराह्न
7. वाहन विमुक्ति की तिथि...

   समय..पूर्वाह्न/अपराह्न

नोडल पदाधिकारी/सहायक नोंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाहन कोषांग, पटना।

अति आवश्यक : 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म–पुस्तिका पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगें।

नोट :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निर्वाचन कार्य से संबंद्ध व्यवसायिक वाहनों, इस लॉगबुक के नमूने के अनुरूप, पीले रंग का; विधि व्यवस्था कार्य से संबंद्ध व्यवसायिक वाहनों हेतु लाल रंग का; राज्य पुलिस बल से संबंद्ध व्यवसायिक वाहनों के लिए हल्के हरे रंग का एवं निर्वाचन कार्य से संबंद्ध सरकारी वाहनों के लिए उजले रंग का अलग–अलग लॉगबुक प्रकाशित करायेंगें।

वाहन–आवंटन की विवरणी

तिथि	पदाधिकारी का नाम एवं विवरण–पेट्रोलिंग पार्टी / जोनल पार्टी / सेक्टर पार्टी आदि का विवरण जिन्हें वाहन आवंटित किया गया।	वाहन लौटाने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4

जिला – ....

लोक सभा आम चुनाव–2014

कर्म पुस्तिका संख्या–...

1. वाहन का किस्म...
2. निबंधन संख्या..बैठक क्षमता...
3. चालक का नाम...

   एवं पूरा पता...मो0नं0...
4. वाहन मालिक का नाम..

   एवं पूरा पता...मो0नं0...
5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या..
6. अधिग्रहण की तिथि..

   समय..पूर्वाह्न/अपराह्न
7. वाहन विमुक्ति की तिथि...

   समय..पूर्वाह्न/अपराह्न

नोडल पदाधिकारी/सहायक नोंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाहन कोषांग, पटना।

अति आवश्यक : 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म–पुस्तिका पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगें।

चुनाव अवधि में प्राप्त किये गये ईंधन/अग्रिम की विवरणी

ईंधन की विवरणी (मात्रा लीटर में)					अग्रिम राशि की विवरणी (प्राप्त की गई राशि)		
तिथि	पेट्रोल	डीजल	मोबिल	अन्य	तिथि	अंको में	अक्षरों में

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	2	3	4

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	**2**	**3**	**4**

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	**2**	**3**	**4**

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	**2**	**3**	**4**

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी / माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	**2**	**3**	**4**

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	**2**	**3**	**4**

दिये गये ईंधनादि/अग्रिम की गणना / शुद्ध भुगतेय/वसूलनीय राशि

.............................समाहरणालय.........................
(लोक सभा आम चुनाव–2014)
वाहन कोषांग

लोक सभा निर्वाचन–2014 के अवसर पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन चालकों/मालिकों एवं कोषांग के काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायकों के लिए आवश्यक दिशानिर्देश :–

1. निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के चालक वाहन कोषांग में रिर्पोट करते हों, संबंधित वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति के साथ लॉग बुक खोलनेवाले एवं अन्य कार्यो के लिए निर्धारित काउन्टर पर पहुँचकर लॉग बुक खुलवा लेंगे। इन कागजातों के प्रस्तुत किए बिना अग्रिम इत्यादि के भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है।

2. कोषांग के काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायक ऐसे अधिग्रहित वाहनों के कोषांग में रिर्पोट करते हीं वाहन चालकों से संबंधित वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति कराकर लॉग बुक खोलेंगे।

3. काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायक लॉग बुक के सभी स्तम्भों की प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगें तथा वाहनों के चालकों/मालिकों से उपयुक्त वांछित कागजातों की छायाप्रति प्राप्त कर लेंगे, तदुपरान्त लॉग बुक हस्ताक्षर के लिए पदाधिकारी के समक्ष रखेंगें तथा अग्रिम विपत्र तैयार करेंगें।

...............................समाहरणालय..........................
(लोक सभा आम चुनाव–2014)
वाहन कोषांग

लोक सभा निर्वाचन–2014 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन को देय मुआवजा प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक जानकारी :–

1. लोक सभा निर्वाचन–2014 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–....................... दिनांक–.............................. द्वारा निर्धारित की गई है। जिसकी प्रति मांगने पर जिला स्तरीय वाहन कोषांग द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है। .... जिलें में निर्वाचन कार्यो के लिए अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के मुआवजा का भुगतान निर्वाचन कार्य समाप्ति के प्रायः एक माह के अन्दर कर दिया जाता है। आसन्न निर्वाचन–2014 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों को देय मुआवजा का शत् प्रतिशत भुगतान निर्वाचन कार्य समाप्ति के एक माह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय, .../जिला नजारत, ...द्वारा वाहन विमुक्ति आदेश (मूल प्रति), वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ–साथ उचित पहचान पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आदाता चेक द्वारा किया जाएगा।

2. देय मुआवजा प्राप्ति में विलम्ब नही हो इसके लिए ऐसे अधिग्रहित सभी व्यवसायिक वाहनों के चालक/मालिक निर्वाचन कार्य समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित वाहनों का लॉग बुक पूर्ण प्रविष्टियों के साथ (जिसके द्वारा वाहन निर्वाचन कार्य में प्रत्युक्त किया गया है, उनके हस्ताक्षर के साथ) वाहन कोषांग में जमा करा कर वाहन विमुक्ति का आदेश प्राप्त कर लेंगें।

3. समय पर लॉग बुक जमा नही करने पर मुआवजा भुगतान में हुए विलंब के लिए वाहन चालक/मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4. व्यवसायिक वाहनों को शत् प्रतिशत मुआवजा के भुगतान की तिथियाँ ससमय प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी।

..............................समाहरणालय..........................
(लोक सभा आम चुनाव–2014)
वाहन कोषांग

लोक सभा निर्वाचन–2014 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन को देय मुआवजा की गणना के संबंध में आवश्यक जानकारी :–

1. लोक सभा निर्वाचन–2014 के अवसर पर अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा की गणना राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–........................ दिनांक–.............................. द्वारा जिलों को संसुचित पत्र के आलोक में की जाएगी। ऐसे अधिग्रहित व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजे की गणना वाहन अधिग्रहण की तिथि एवं वाहनों की विमुक्ति की तिथियों को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों की तिथि के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा। (राज्य परिवहन आयुक्त का पत्रांक .... दिनांक ....)

2. ऐसे अधिग्रहित व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा की गणना वाहनों को दिये गए अग्रिम और ऐसे वाहनों में समय–समय पर आपूर्ति ईंधनादि के आलोक में तय की गई दूरी (सरकार द्वारा निर्धारित) इत्यादि के समायोजन के पश्चात अवशेष राशि जो देय होगी, इसका भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय, .../जिला नजारत, ... द्वारा आदाता चेक के माध्यम से उचित पहचान पत्र यथा वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र, वाहन विमुक्ति आदेश प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

3. मुआवजा भुगतान की सूचना हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी।